# न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

**प्रकरण सं0 : 124/2018**

**अनवान :**

1. रणजीत पुत्र रामजीलाल जाति नाई निवासी मालकस तहसील भादरा।
2. मांगेराम पुत्र रामजीलाल जाति नाई निवास मालकस तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

**– वादीगण**

**बनाम**

1. रामजीलाल पुत्र चुन्नीराम जाति नाई निवासी मालकस तहसील भादरा।
2. मुकेश पुत्र नन्दराम जाति नाई निवासी मालकस तहसील भादरा।
3. चन्दोदेवी नत्नी नन्दराम जाति नाई निवासी मालकस तहसील भादरा।
4. बिमला पुत्री रामजीलाल पतनी पेमपाराम जाति नाई निवासी मालकस हाल झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

**– प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत इस्करार हकएवं स्थाई**
**निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 राज.काश.अधि.**

**उपस्थिति :** वकील श्री धर्मपाल बेरवाल **: वादीगण**

वकील श्री सतवीर बेनीवाल: **प्रतिवादीगण**

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

**निर्णय** **दिनांक :** 27.9.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी को प्रतिवादीगण के मोरूशाला श्री चुन्नीराम की रोही मोजा मालकस के खसरा सं. 64 की 0.5440 हैक्टर, खसरा सं. 65 की 4.6410 हैक्टर, खसरा सं. 116 की 1.1000 हैक्टर, खसरा सं. 144 की 2.5420 हैक्टर, खसरा सं. 146 की 4.4260 हैक्टर, खसरा सं. 161 की 10.7240 हैक्टर, खसरा सं. 258 की 0.5560 हैक्टर, खसरा सं. 362/146 की 0.0510 हैक्टर कुल खसरा 8 की 24.5840 हैक्टर खातेदारी आराजी थी। नकल नामान्तरण संलग्न अर्जीदावा है।

आज से करीब 20 वर्ष पूर्व वादीगण के दादा चुन्नीराम की मृत्यु हो चुकी है। उसकी मृत्यु के बाद वादीगण के दादा के नाम दर्ज आराजी उसके वारिसान के नाम से कर्ता खानदान होने के कारण औद हो गई और प्रतिवादी नं. 1 के नाम से 1/4 हिस्सा दर्ज हो गई। जमाबंदी सम्वत 2074–77 संलग्न अर्जीदावा है। यही बिनाय दावा है।

प्रतिवादी नं. 1 प्रतिवादी नं. 2 के साथ रहता है व उसके असर व प्रभाव में होने के कारण वादी को उसके हक व हिस्से से महरूम करने के लिउ वादग्रस्त आराजी को रहन, बैय व मुन्तकिल करने पर उतारू है। ऐसा करने का प्रतिवादी नं. 1

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

को कोई हक व अधिकार नही है। अगर प्रतिवादी नं. 1 वादग्रस्त आराजी को रहन, बैय व मुन्तकिल कर देता है तो वादीगण को नातिलाफी नुकसान होगा, जिसकी भरपाई नही हो पायेगी। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि वह वाद भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल न करे।

वादग्रस्त आराजी संयुक्त परिवार की सहदायिक सम्पति है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज होने के कारण वादीगण के हक तलफी होती है। प्रतिवादी नं. 1 के नाम ये रोही मौजा मालकस के खसरा नं. 313 के 16 बीघा में से 1/2 हिस्सा खरीदशुदा है व खसरा नं. 195 में 10 बीघा खरीदशुदा भूमि है जो संयुक्त परिवार की आय से खरीद की हुई है। लेकिन उक्त कृषि भूमि कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी नं. 1 के नाम से क्रय की है। खरीदशुदा भूमि बंटवारा में प्रतिवादी नं. 1 के हिस्से में आई है और उसी के कब्जा में है, जबकि वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी नं. 2 के बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त में है। प्रतिवादी नं. 3 वादभूमि काश्त नही करती है, उसने अपना हक हिस्सा मौखिक रूप से प्रतिवादी नं. 2 के पक्ष में त्याग कर रखा है। प्रतिवादिया नं. 4 अपने ससुराल झांसल में आबाद है वही पर उसकी सम्पति है। उसने अपना हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी नं. 2 के पक्ष में मौखिक रूप से तर्क कर दिया। इसलिए वादीगण न्यायालय से यह घोषणा करवाने के अधिकारी है कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादी नं. 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। बाद घोषणा प्रतिवादी नं. 1 का नाम वादभूमि से कलमजन कर वादभूमि वादीगण व प्रतिवादी नं. 2 मुकेश के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

वादीगण ने प्रतिवादी नं. 1 को दिनांक 27.05.2018 को वादभूमि में वादीगण के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने एवं आराजी को रहन, बैय व मुन्तकिल करने को छोड़ देने को कहा तो प्रतिवादी ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया, बाद पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु रखी गयी।

साक्ष्य वादी में रणजीत पुत्र रामजीलाल जाति नाई निवासी मालकस तहसील भादरा के बयान करवाये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मोजा मालकस खाता संख्या 160/149 सम्वत 2069–77 प्रदर्श 1नकल नामान्तरण रजिस्टर ग्राम मालकस प्रदर्श 2, नकल खतौनी ग्राम मालकस प्रदर्श 3, नकल जमाबंदी रोही मोजा मालकस खाता संख्या 66/62 प्रदर्श 4, जमांबदी रोही मालकस खाता नं. 28/58 प्रदर्श 5, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भाडी प्रदर्श 6, प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। बहस का मनन किया गया एवं पत्रावली एवं रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने रोही मोजा मालकस के खाता संख्या 160/149 के खसरा सं. 64, 65, 116, 144, 146, 161, 258, 362/146 के कुल खसरा 8 की 24.5840 हैक्टर खातेदारी आराजी में प्रतिवादी सं. 1 रामजीलाल के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा आराजी के वादीगण व

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

प्रतिवादी नं. 2 मुकेश बहिस्सा बराबर अनुसार काश्तकार घोषित करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया था।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एव राजीनामा के आधार पर वाद वादीगण साबित होने पर डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा मालकस के खाता संख्या 160/149 के खसरा सं. 64, 65, 116, 144, 146, 161, 258, 362/146 के कुल खसरा 8 की 24.5840 हैक्टर खातेदारी आराजी में प्रतिवादी सं. 1 रामजीलाल के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा आराजी मे से प्रतिवादी सं. 1 रामजीलाल का नाम कलमजन कर उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं. 1 रामजीलाल के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा के वादीगण व प्रतिवादी नं. 2 मुकेश बहिस्सा बराबर अनुसार काश्तकार काश्तकार है। प्रतिवादी सं० 1, 3, व 4 ने अपना अपना हक तर्क कर दिया है दावा में प्रतिवादी सं० 1, 3, व 4 के द्वारा हक त्याग किये गये हिस्से के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टॉम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात वादीगण रणजीत, मांगेराम व प्रतिवादी सं. 2 मुकेश को इसी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार वाद भूमि के स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् तथा वादभूमि बैक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.9.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) भादरा (हनुमानगढ़)

(राजकुमारी कस्वा)
सहायक कलेक्टर R.A.S.
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

<u>पर्चा डिक्री</u>

## न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.**

**प्रकरण सं0 : 124/2018**

**अनवान :**

1. रणजीत पुत्र रामजीलाल जाति नाई निवासी मालकस तहसील भादरा।
2. मांगेराम पुत्र रामजीलाल जाति नाई निवास मालकस तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– **वादीगण**

**बनाम**

1. रामजीलाल पुत्र चुन्नीराम जाति नाई निवासी मालकस तहसील भादरा।
2. मुकेश पुत्र नन्दराम जाति नाई निवासी मालकस तहसील भादरा।
3. चन्दोदेवी नत्नी नन्दराम जाति नाई निवासी मालकस तहसील भादरा।
4. बिमला पुत्री रामजीलाल पतनी पेमपाराम जाति नाई निवासी मालकस हाल झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– **प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत इस्करार हकएवं स्थाई**
**निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 राज.काश.अधि.**

सहायक कलक्टर एवं कार्य पालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) भादरा(हनुमानगढ़)

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री धर्मपाल बेरवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर बेनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एव राजीनामा के आधार पर वाद वादीगण साबित होने पर डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा मालकस के खाता संख्या 160/149 के खसरा सं. 64, 65, 116, 144, 146, 161, 258, 362/146 के कुल खसरा 8 की 24.5840 हैक्टर खातेदारी आराजी में प्रतिवादी सं. 1 रामजीलाल के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा आराजी मे से प्रतिवादी सं. 1 रामजीलाल का नाम कलमजन कर उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं. 1 रामजीलाल के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा के वादीगण व प्रतिवादी नं. 2 मुकेश बहिस्सा बराबर अनुसार काश्तकार काश्तकार है। प्रतिवादी सं0 1, 3, व 4 ने अपना अपना हक तर्क कर दिया है दावा में प्रतिवादी सं0 1, 3, व 4 के द्वारा हक त्याग किये गये हिस्से के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टॉम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात वादीगण रणजीत, मांगेराम व प्रतिवादी सं. 2 मुकेश को इसी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार वाद भूमि के स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् तथा वादभूमि बैक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27.9.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनुमानगढ़)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़